

परिपत्र

प्रति,

संलग्न सूची के अनुसार

विषय: प्रशुल्क नीति 2015 के अंतर्गत महापत्तन  
न्यास द्वारा एआरआर संगणना तथा सूचीबद्ध  
दरमान की संगणना के लिए वार्षिक वृद्धि घटक.

प्रशुल्क नीति, 2015 के अनुसार 19.08.2016 से मुंबई पोर्ट ट्रस्ट दरमानों को संशोधित किया गया. प्रशुल्क नीति, 2015 के खण्ड 2.8, 2.9 तथा 3.2 के संदर्भ में वर्तमान दरमानों में भारत सरकार द्वारा घोषित विगत वर्ष के 1 जनवरी तथा संबद्ध वर्ष के 1 जनवरी के बीच वाली थोक मूल्य सूची में परिवर्तन में प्रतिवर्ष शत प्रतिशत बढ़ावा के लिए सूचीबद्ध किये जाने की अनुमति होगी. दरमानों में शत प्रकार के स्वसमायोजन की अनुमति दरमान में उल्लेखित कार्य निष्पादन की प्राप्ति पर निर्भर होगा.

2. महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकारी ने महापत्तन न्यासों के संबंध में वर्ष 2018-19 के लिए NIL वृद्धि घटक की घोषणा की है. अतः दरमानों की सूची में वर्ष 2018-19 के लिए कोई सूचीकरण घटक नहीं होगा.

संलग्न : पोर्ट उपभोक्ताओं की सूची

भवदीय,

(ए.के.बोस)

यातायात प्रबंधक